

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ^{28/10}
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्टी) कैम्प ^{दोहर}

आदेश :-

प्राचीन की "खाता पुस्तक" प्रार्थना पत्र एवं पटवार की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / पायल तहसीलदार की अनुसूची के आधार पर राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 138 के अनुसरण में प्राप्त राजस्व की जमाबन्दी सम्बन्ध में खाता संख्या 582,851, 933, 666, 931 में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।
प्रतिष्ठ को निम्नलिखित रूप से सुन्दर किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रतिष्ठ (अशुद्ध प्रतिष्ठ)	आदेश (शुद्ध प्रतिष्ठ जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	दोहर	582,851, 933, 666, 931	"मूल में पन्ना" ^{मिथुन} "मूल में पन्ना" ^{पन्ना}	मिथुन ^{15/10} पन्ना ^{15/10}

fhr
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी भीम
जिला-राजसमन्द
पदेन सहा. कलक्टर ^{28/10}

क्रमांक - 125/350

दिनांक - 3/10/25

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार ^{28/10} को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ^{मिथुन} को सूचनायें।
3. रचित पत्रावली। ^{मिथुन}

fhr
पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी भीम
जिला-राजसमन्द